आयकर विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में स्थानान्तरण नीति

1320. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग में मुख्य आयुक्त, आयुक्त, उपायुक्त और सहायक आयुक्त पदों पर नियुक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए एक निर्धारित नीति का अनुसरण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस नीति अथवा मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस नीति का उल्लंघन किया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) जी, हां ।

(ख) अनुलग्नक के अनुसार ।

(ग) जी, नहीं ।

समूह "क" के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए मार्ग-निर्देश ।

1. भारतीय राजस्व सेवा के समूह "क" के सभी अधिकारियों को वित्त वर्ष के प्रारंभ में उस स्थिति में स्थानान्तरित किया जा सकता है, यदि उन्होंने किसी संवर्ग नियंत्रण करने वाले मुख्य आयुक्त के प्रभार में 8 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस सिद्धान्त में उचित मामलों में अनुकम्पा के आधार पर ढील दी जाती है । एक ही स्थान पर प्रतियुक्ति तथा प्रशिक्षण की अवधि (विदेश में इसी प्रकार के दायित्वों सहित) को उक्त स्थान पर ठहरने की निरन्तर अवधि के रूप में हिसाब में लिया जाता है । दो वर्ष से कम अवधि के अन्तराल को उसी प्रभार अथवा स्थान पर निरन्तर ठहरना समझा जाता है । निरन्तर ठहरने की अवधि का हिसाब लगाने के लिए किसी निम्न संवर्ग में की गई सेवा को भी हिसाब में लिया जाता है ।

2. बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली के महानगरों के संबन्ध में किसी एक स्थान पर ठहरने की अवधि 8 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए । मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा बंगलौर के शहरों में मामले में यह अवधि 5 वर्षों तक सीमित है । अन्य स्थानों पर ठहरने की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष है ।

3. जहां तक व्यावहारिक होता है, प्रत्येक अधिकारी को एक विशिष्ट पद पर न्यूनतम दो वर्षों के लिए तैनात किया जाता है ।

4. पदोन्नति होने पर अधिकारियों को, उन मामलों को छोड़कर, जिनमें वे उक्त प्रभार में पूर्व में दो वर्षों से कम समय से आए हों, उनके ठहरने की अवधि पर ध्यान दिए बिना सामान्यतया स्थानान्तरित कर दिया जाता ।

5. कोई भी अधिकारी अपने ठहरने की अवधि के आधार पर अथवा अपनी पदोन्नति के अनुमान के आधार पर निश्चित समय से एक वर्ष पूर्व स्थानान्तरण के लिए विकल्प चुन सकता है, यदि ऐसी उसकी सुविधा के अनुरूप हो ।

6. जिन व्यक्तियों का सेवाकाल दो वर्ष से कम समय का रह गया हो, उनका स्थानान्तरण ठहरने की अवधि के आधार पर अथवा पदोन्नति होने के पश्चात् नहीं किया जाता है यदि उन्हें उसी प्रभार स्थान पर रोके रखना व्यावहारिक हो ।

7. पति तथा पत्नी को यथासंभव सीमा तक एक ही स्थान पर रखा जाता है ।

8. किसी भी अधिकारी को प्रशासनिक कारणों से अल्पकालिक नोटिस देकर किसी भी समय देश के किसी भी भाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

9. जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति में तीन वर्षों से भी कम का समय रह गया हो, उन अधिकारियों को उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनके गृह-

निवास/राज्य में तैनात किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय इस प्रकार से तैनात नहीं किया गया हो ।

10. एक ही प्रभार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिकारियों का स्थानान्तरण सामान्यतया चार वर्षों में एक बार किया जाता है । बड़े-बड़े शहरों में उनका स्थानान्तरण एक सर्किल से दूसरे सर्किल (मात्र एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ही नहीं) में तीन वर्षों में एक बार किया जाना होता है । समूह "ख" के किसी अधिकारी को समूह "क" के पद पर उसकी पदोन्नति हो जाने पर उस संवर्ग नियंत्रण आयुक्तीय प्रभार, जिसमें कि वह तैनात हैं, से उसी जोन के भीतर किसी अन्य संवर्ग नियंत्रण आयुक्तीय प्रभार में स्थानान्तरित किया जा सकता है । लेकिन, प्रशासनिक कारणों से एक ही जोन के भीतर स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए ।

11. जहां तक संभव हो, स्थानान्तरण सामान्यतया अप्रैल/मई के महीने में किए जाते हैं । सिवाए प्रशासनिक अत्यावश्यकता के आधार पर अथवा परेशानियों को दूर करने के आधार पर, अधिकारियों की अदला-बदली वर्ष के मध्य में नहीं की जाती है ।

12. ऐसे अधिकारी, जो मार्ग-निर्देशों के अधीन स्थानान्तरण किए जाने के अन्यथा पात्र नहीं होते हैं, लेकिन जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण उनके अनुरोध पर किया गया हो, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के हकदार तब तक नहीं हैं जब तक कि उन्होंने उस स्थान पर दो वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर ली हो, जिस स्थान से उनका स्थानान्तरण किया गया है ।

Report of Jafri Committee on Urdu

1321. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Jafri Committee on Urdu has submitted its report to Government recently;

(b) if so, the details of recommendations made therein;

(c) which of the recommendations have been accepted by Government and implemented so far; and

(d) by when all recommendations are likely to be implemented?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The Report of Committee to examine Implementation of Recommendations of Gujral Committee for Promotion of Urdu (Jafri Committe) has been laid on the Table of Rajya Sabha on 25.7.1991.

(c) Government is yet to take decision in the matter.

(d) Does not arise in view of (c) above.

Discounts sale by NTC

1322. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the occasions on which discounts are announced by NTC on its cloth in Delhi and other places;

(b) what is the extent of such discounts;

(c) whether it is a fact that no such discount is given on the occasion of festivals of muslims;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) if the reply to part (c) above be in the negative, the details of discounts being given on the occasion of muslim festivals?